संख्या : / 2019–05–01(02)/2015

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक,
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कृषि एवं विपणन अनुभाग(जलागम) देहरादून : दिनांक 15 फरवरी, 2019

विषयः वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–जलागम विकास घटक(समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम) के अन्तर्गत अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के लिये भारत सरकार से स्वीकृत केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 1432/3(150)/XXVII(1)/2018 दिनांक 17.12.2018 एवं शासनादेश संख्या 519/3(150)–2017/XXVII(1)/2018 दिनांक 02.04.2018 तथा परियोजना निदेशक(प्रशासन) जलागम प्रबन्ध निदेशालय के पत्रसंख्या 1518/3–2(ब)/PMKSY/अनु0जाति/2018–19 दिनांक 12.12.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–जलागम विकास घटक(समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम) के लिये 90:10 फन्डिंग पैटर्न में वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या– K-11013/06/2016-17/IWMP(UK)/Vol.II दिनांक 03.10.2018 द्वारा प्राप्त केन्द्रांश रु0 125.00 लाख, जो शासनदेश संख्या 911/2018–5–01(02)/2015 दिनांक 01.01.2019 द्वारा अवमुक्त किया गया है, के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि रू0 13.89 लाख (रू0 तेरह लाख नवासी हजार मात्र) निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2(1) उक्तानुसार आपके निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि SLNA के सम्बन्धित परियोजना निदेशक मुख्यालय के निवर्तन पर तत्काल रख दी जायेगी।

2(2) उक्तानुसार निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन/व्यय योजना हेतु लागू वर्तमान नियमों, आदेशों, निर्धारित मानकों, समय–समय पर राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्ग निर्देशों/गाईड लाईन्स के अनुसार उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिये भारत सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

2(3) उक्तानुसार आवंटित धनराशि का उपयोग किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त करली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।

2(4) उक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि का यथावश्यकता किश्तों में आहरण किया जायेगा और पूर्व आहरित धनराशि के पूर्ण उपयोग के बाद ही अगली किश्त का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

2(5) उक्तानुसार एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

2(6) उक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2019 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता का प्रमाण पत्र भारत सरकार एंव शासन को यथासमय प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018–19 के अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2401–फसल कृषि कर्म 001–निदेशन तथा प्रशासन–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0104–समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम/पी0एम0के0एस0वाई0 के अन्तर्गत मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद के नामे डाला जायेगा।

4. उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 610/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 में विहित व्यवस्था के क्रम में www.ct.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत अलॉटमेन्ट आई0डी0– S1902300228 के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के शासनादेश 17.12.2018 एवं दिनांक 02.04.2018 द्वारा दिए गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे है।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 186/XVII(4)/2019 दिनांक 24 जनवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्या :102/2019–5–01(02)/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, महालेखाकार भवन, कौलागढ़ देहरादून।
2. महालेखाकार, आडिट, महालेखाकार भवन, कौलागढ़ देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल/कुमायू मण्डल पौड़ी/नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
5. डिप्टी इन्सपैक्टर जनरल(डब्लूएम) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग भारत सरकार, सी0जी0ओ0 कॉम्पलेक्स छठां तल, 11वॉ ब्लाक, लोधी रोड, नई दिल्ली –110003 को उनके पत्रसंख्या–K-11013/06/ 2016-17/IWMP(UK)/Vol.II दिनांक 03.10.2018 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
6. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
7. परियोजना निदेशक, आई0डब्लू0एम0पी0 जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
8. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देव सिंह)
उप सचिव।